

10/8/2017
 वकील उमयपक्ष हाजिर, ए. एस. डी. ओ. साहब
 कोश पर / दीगर कार्य / अवकाश पर है। पत्रावली
 दिनांक 28/11/2017 को पेश हो।
 वेदसप्रतिपत्र

28/11/2017
 वकील उमयपक्ष हाजिर / एस. डी. ओ. साहब
 कोश पर / दीगर कार्य / अवकाश पर है। पत्रावली
 दिनांक 27/02 को पेश हो।
 वेदसप्रतिपत्र



27/2/2018 पत्रावली पेश करी वकील उमयपक्ष हाजिर
 कोश पर दिनांक 12-6-2018 को
 पेश हो।

आचार्य
 सहायक कलेक्टर
 उपखण्ड अधिकारी कपासन
 जिला जिला

3.5.18 पत्रावली अर्थात् कोश अर्थात् व्याप
 अर्थात् कोश 2018 केन्द्र कालाएज मे
 पेश। अर्थात् मे विरुद्ध रूप
 तैयार है कि मीमा कालिया लेवी तह.
 अर्थात् कोश 45 अर्थात् 0.21 है.
 अर्थात् अर्थात् कोश आरक्षित है
 मे अर्थात् कोश 3 उक्त आरक्षित
 आरक्षित पर पाये है अर्थात् कोश
 को अर्थात् कोश दिनांक 19.11.17
 अर्थात् 1,2,3 के अर्थात् कोश
 अर्थात् आरक्षित मे अर्थात् कोश
 अर्थात् कोश है 0.07 है.

(आचार्य कोशाल)
 सहायक कलेक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी कपासन
 जिला जिला

जारी हुए

अदालत मुकाम
 बनाम
 नं. सन्
 किस्म मुकदमा

तारीख हुकम हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

राज्यपाल कक्षा पर लिखा है तथा अखणी संख्या ५ के भी ०-०१ है पा कक्षा पर लिखा है। अतः उक्त के विपक्ष आस्था निर्देशना-वही गई है। अखणीगण ने अपना पक्ष समुचित पर निर्देशन लिखा है। अखणी संख्या ५ के अखणीगण पर पूर्व में शासनात में सुनने का आदेश प्राप्त था सामान्य के विषय द्वारा अखणी के नाम पर जर्नी कि रूप पत्र संशोधन पर अपने नाम पर १।मान-२०० सुनना लिखा है, अखणी व अखणीगण का विवक्षित आदेश प्राप्त पर संयुक्त कक्षा है। अतः यह अखणी व अखणीगण ने विमान १३.७.१९९८ को द्वारा संयुक्त रूप के आदेश ५५ अर्था ०.२१, आदेश ५६ अर्था ०.१० कुल मिला २ कुल अर्था ०.३१ है. रूप की ही अक्षर रूप में के अक्षर रूप ले विमान पर अपने-अपने तब लिखे पर शामिल है। अखणी संख्या १ व ५ के अंतर्गत जर्नी के विवक्षित आदेश प्राप्त की परिये कि रूप के रूप की ही व अक्षर रूप में के



सहायक सचिव एवं प्रमुख अधिकारी कपासन

